



वर्षांत समीक्षा 2017- जनजातीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय की उपलब्धियों की मुख्य झलकियाँ

Posted On: 30 DEC 2017 1:37PM by PIB Delhi

वर्ष 2017 के दौरान जनजातीय मामलों के मंत्रालय की कुछ खास उपलब्धियों की झलकियाँ इस प्रकार हैं:-

1. मंत्रालय ने अपना प्रयास जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जारी रखा। जैसे उचित शिक्षा, भवन, तथा अन्य ज़रूरी योजनाओं से एक अंतर को कम करने की कोशिश की गई। सरकार का ABR इस मंत्रालय को यह निर्देश देता है कि वह 'ट्राइबल सब प्लान' के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि की देखरेख करे जिसे नीति आयोग ने तैयार किया है। बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयास में मंत्रालय लगातार सभी योजनाओं की समीक्षा कर रहा है।

2. जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए वार्षिक बजट वर्ष 2016-17 में 4827.00 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 5329.00 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा सभी मंत्रालयों में जनजाति कल्याण हेतु बजट 24,005.00 करोड़ से बढ़कर 31,920.00 करोड़ देखा गया। मंत्रालय इस राशि का 70% हिस्सा पहले ही जनजाति कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर खर्च कर चुकी है। 2280.49 करोड़ की धनराशि दो विशेष क्षेत्रों के कल्याण हेतु (शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका/आय बढ़ोतरी) जारी की जा चुकी है। पब्लिक फाइनंसियल सिस्टम को लागू करके मंत्रालय जारी धनराशि के सदुपयोग और पारदर्शिता पर ध्यान लगे हुए है।

3. जनजातिकल्याण हेतु धनराशि की देखरेख:

32 केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग 'ट्राइबल सब प्लान' की धनराशि को देख रहे हैं जो जनजातियों की विभिन्न 273 योजनाओं के लिए आबंटित है। सरकार का ABR ने जनवरी 2016 में इस मंत्रालय को यह निर्देश दिया था कि वह 'ट्राइबल सब प्लान' के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि की देखरेख करे जिसे नीति आयोग ने तैयार किया है। इसकी देखरेख के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम भी बने गया है जिसका लिंक stcmis.nic.in है। यह ढांचा जनजातियों के कल्याण की योजनाओं, प्रदर्शन, और परिणाम की भी जांच करता है। साथ ही क्षेत्र आधारित प्रदर्शन की जांच करता है जिससे जिम्मेदारी का निर्धारण किया जा सके। इसके लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है जो मंत्रालय के साथ संपर्क बनाए रहता है। इस पूरे कार्यक्रम को छमाही समीक्षा के अंतर्गत मंत्रालय और नीति आयोग देखेंगे जिसके आधार पर इसके प्रदर्शन का आकलन किया जायेगा।

15.12.2017 तक 68% धनराशि विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा जारी की जा चुकी है जो जनजातियों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं जैसे - शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, भवन, बिजली, रोजगार उत्पादन एवं कौशल निर्माण पर खर्च किया गया है।

4. एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की योजना :

- (i) 51 एकलव्यमॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पिछले तीन वर्षों में बनाए गए, लक्ष्य 190 ऐसे स्कूलों का है।
- (ii) 2017-18 में 14 ऐसे स्कूलों को मंजूरी दी गई जिसके लिए 322.10 करोड़ की राशि जारी की गई। अब 271 ऐसे स्कूलों की मंजूरी मंत्रालय दे चुका है।
- (iii) 235.48 करोड़ की धनराशि 2017-18 के दौरान राज्यों को जारी गई जिसमें 190 स्कूलों में 56000 जनजातीय विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं जिन पर प्रति विद्यार्थी 42000 का सालाना खर्च है

5. कौशल विकास :

165.00 करोड़ की धनराशि विभिन्न राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के तहत जारी की जा चुकी है जो अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत 71 हजार से ज्यादा पुरुष/महिला जनजाति लाभार्थियों के कौशल विकास के लिए है। जैसे- दफ़्तर प्रबंधन, सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन, हस्तकारीगर, मजदूरी कार्य जैसे- प्लम्बर, मिस्त्री, फ़िटर, वेल्डर, बढ़ई, फ़िज़ एवं ए.सी ठीक करना, मोबाईल ठीक करना, पोषण, आयुर्वेदिक एवं ट्राइबल औषधियाँ, आई टी, डाटा एंट्री, कपड़ा, नर्सिंग, वहां चालक एवं ठीक करना, बिजली की मोटर बांधना, सुरक्षाकर्मी, गृहप्रबंधन, खुदरा दुकानदारी, हॉस्पिटैलिटी, ईको-पर्यटन एवं एडवेंचर पर्यटन।

6. जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालयों का निर्माण:

सरकार अपनी इच्छानुसार जनजातीय संग्रहालयों का निर्माण उन राज्यों में कर रही है जहाँ ये लोग रहे, अंग्रेजों के खिलाफ़ संघर्ष किया और सर झुकाने से इनकार किया। सरकार ऐसे राज्यों में प्रतीक रूप में जनजातीय संग्रहालय बनाएगी जिससे आने वाली पीढ़ियां यह जान सकें कि किस प्रकार हमारी ये जनजातियाँ बलिदान देने में कितनी आगे थीं। सरकार ने यह तय किया है कि वह स्टेट ऑफ़ आर्ट ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण गुजरात में करेगी जिसका कुल खर्च 75 करोड़ है जिसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय 50 करोड़ देगा। इसका 25 करोड़ पहले ही राज्य को दिया जा चुका है।

7. वन अधिकार एक्ट के अंतर्गत 31.12.2016 से 31.08.2017 तक की उपलब्धियाँ

		कुल स्वीकृति	

	कुल मांग (व्यक्तिगत एवं सामूहिक)		वन भूमि का विस्तार जिसके लिए स्वीकृति दी गई
स्थिति 31.08.2017तक	41,76,192	18,03,442	138,37,483.48
स्थिति 31.12.2016तक	41,69,962	17,47,507	122,93,136.71
उपलब्धि 2017 (31.08.2017तक)	6,230	55,935	15,44,346.77

8. अति संवेदनशील जनजाति समूहों के अंतर्गत पहल :

- मंत्रालय अति संवेदनशील जनजाति समूहों के विकास हेतु धनराशि 270 (2016-17) करोड़ से बढ़ाकर 340 (2017-18) करोड़ कर चुका है।
- राज्य सरकारों को विभिन्न स्तरों पर खर्च करने की आज़ादी दी गई है।
- पी.वी.टी.जी. के सर्वांगीण विकास के लिए सूक्ष्मस्तर की योजना तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।
- पी.वी.टी.जी. के पारंपरिक शिल्प, पारंपरिक औषधीय प्रक्रिया, खानपान एवं सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने पर ध्यान दिया जा रहा है।

9. छात्रवृत्तियाँ :

I. प्रीमेट्रिक छात्रवृत्ति

- राज्य अपने पोर्टल/राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का इस्तेमाल ऑनलाइन आवेदन के कर रहे हैं।
- आर्थिक सहायता 212.19 करोड़ से बढ़ाकर 265.00 करोड़ कर दी गई है।

II. पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति :

- राज्य अपने पोर्टल/राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का इस्तेमाल ऑनलाइन आवेदन के कर रहे हैं।
- आर्थिक सहायता 212.19 करोड़ से बढ़ाकर 265.00 करोड़ कर दी गई है।

III. जनजाति विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अनुदान एवं छात्रवृत्ति योजना

- योजना के लिए आर्थिक सहायता 80 करोड़ से बढ़ाकर 120 करोड़ कर दी गई है।

i. छात्रवृत्ति योजना

- उच्च दक्षता वाले विद्यार्थियों के आवेदन के लिए एन.एस.पी. का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- ट्यूशन फीस संस्थानों को सीधा भेजी जा रही है।
- कुल पारिवारिक आय की सीमा 4.50 लाख से बढ़कर 6.00 लाख कर दी गई है।

ii. अनुदान योजना

- मंत्रालय ने यह योजना यू.जी.सी. से अपने हाथों में ले ली है ताकि विद्यार्थियों तक पैसा समय से पहुंचे।
- एन.एफ.एस.टी. पोर्टल को विकसित कर तथा मंत्रालय के NIC सर्वर का इस्तेमाल ऑनलाइन नए आवेदनों के लिए किया जा रहा है।
- पी.एफ.एम.एस, बैंकों तथा एन.एस.पी. टीमों द्वारा सहयोग से विद्यार्थियों की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया जा रहा है।
- दिव्यांगों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है।

iii. जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी

मंत्रालय ने पोर्टल विकसित कर मंत्रालय के NIC सर्वर का इस्तेमाल किया जा रहा है।

विद्यार्थियों को विषयों के चुनाव में अधिक विकल्प दिए जा रहे हैं।

- विषयों के चुनाव के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- नए दिशा-निर्देशों के अनुसार GRE/GMAT/TOEFL पास करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

iv. डीबीटी

- मंत्रालय द्वारा 9 योजनाओं को डीबीटी के तहत लागू किया गया है।
- प्रतिमाह आंकड़े इकट्ठे कर डीबीटी के भारत पोर्टल पर डाले जा रहे हैं।

10. आदि महोत्सव :

जनजातिकार्य मंत्रालय ने ट्रिफेड (TRIFED) के सहयोग से एक राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन 16 नवम्बर 2017 से 30 नवम्बर 2017 तक किया । इस महोत्सव की शुरुआत महान आदिवासी जन नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के 142वें जन्मदिवस पर अखबारों एवं सोशल मीडिया में एक विज्ञापन देकर श्रद्धांजलि दी गई । आदि महोत्सव का उद्घाटन उप-राष्ट्रपति ने 16 नवम्बर के दिन किया । आदिवासी संस्कृति कला, शिल्प, खानपान और व्यवसाय का यह महोत्सव दिल्ली में 15 दिन तक लाखों दिल्लीवासियों के बीच मनाया गया । यहाँ आदिवासी कलाकारों की बेहतरीन शिल्प कला का नज़ारा दिखा । इसमें सुन्दर साड़ियाँ, ड्रेस मटिरिअल, आभूषण, बांस और सरकंडे से बनी वस्तुओं, पेंटिंग जैसी कई चीज़ें शामिल थी । 27 राज्यों से आए करीब 800 कलाकार और कारीगरों ने इसमें भाग लिया और अपने उत्पाद बेचे । इसी बीच आदिवासी नृत्य और लोकसंगीत की भी कई प्रस्तुतियाँ दी गईं लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान 85 आदिवासी रसोइयों के हाथों बनी स्वादिष्ट व्यंजनों ने खींचा । इसमें तेलंगाना से बंजारा बिरयानी, ओडिशा से खोदियार रोटी और चिकन के साथ उत्तर पूर्व के राज्यों से कई स्वादिष्ट शाकाहारी और मासाहारी व्यंजन शामिल थे । दिल्ली के लोगों ने इन सब चीज़ों का लुत्फ उठाया । 15 दिन के मेले में आदिवासी कारीगरों ने करीब 1.60 करोड़ की बिक्री की जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है । इस महोत्सव में कुल बिक्री 4.10 करोड़ की हुई जिसे लेकर पूरा आदिवासी समूह उत्साहित था ।

11. गैर सरकारी अनुदान :

मंत्रालय उन गैर सरकारी संगठनों को जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं उन्हें विशेष अनुदान दे रहा है । इस विषय में पारदर्शिता लाने और सरकार की नीतियों का पालन करने के लिए एक एन.जी ओ ग्रांट पोर्टल शुरू किया गया है । इस तरह अब हर आवेदन इसी ऑनलाइन पोर्टल के जरिये मंगवाया जाता है । इसी के साथ मैरिट के आधार पर नई परियोजनाओं को अनुदान भी कई सालों बाद शुरू किया जाएगा ।

12. लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य :

साल 2013-14 में इस योजना की शुरुआत 10 लघु वन उत्पादों के लिए हुई थी जिसमें बाद में 31.10.16 को बदलाव किए गए साथ ही अन्य कई उत्पादों को इस श्रेणी में जोड़ा गया और इसे देश भर में लागू करने को स्वीकृति दी गई । इससे पहले यह योजना पांचवी अनुसूची वाले राज्यों में ही लागू थी । इसी तरह जिन 10 वस्तुओं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य शुरू से था ट्रिफेडने टेरी के सहयोग से किए गए शोध के बाद इन पर पुनर्विचार किया । साल के बीज, सालकी पत्तियाँ, बीज के साथ चिरौंजी पौध, रंगीनी लाख और कुसुमी लाख जैसे पांच उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य नवम्बर 2017 में बढ़ाए गए ।

वीएल/एएम/पीकेडी/डीएस/आरके/एमबी

(Release ID: 1514747) Visitor Counter : 729

